

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:—डॉ० अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 384/2025

श्री ताराचन्द पुत्र नौरंगसिंह, निवासी डूण्डलोद, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

—प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।

—अप्रार्थी

आवेदन पत्र बाबत राज० उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के निर्णय की पालना बाबत।

उपस्थित:—

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. श्री विकास कुमार, विभागीय प्रतिनिधि— अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 12.09.2025

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.08.2025 में दिये निर्देशों की पालना में निम्न प्रकार पेश किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.08.2025 में दिये गये निर्देशों की पालना में आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थी ताराचन्द पुत्र श्री नौरंगसिंह द्वारा डूण्डलोद ग्राम, ब्लॉक नवलगढ में उचित मूल्य की 3 दुकानों द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है जिसमें कुल राशन कार्ड एनएफएसए के राशन कार्डों की कुल संख्या 1868 व कुल यूनिट 8204 है। फिर भी विभाग द्वारा विज्ञप्ति रसद क्रमांक 374/2025 दिनांक 12.06.2025 को विज्ञप्ति क्रमांक 30 पर डूण्डलोद 1/4 की विज्ञप्ति निकाल दी गई है जिसमें विभागीय नियमों की अनदेखी की गई है। माननीय न्यायालय से बड़ी विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि उक्त नवसृजित दुकान के लिए जारी किया गया विज्ञापन खाद्य विभाग द्वारा जारी नीति का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17/खा०वि०/विधि/2008 दिनांक 07.04.2010 में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रत्येक राशन की दुकान पर 500 राशन कार्ड एनएफएसए के उनकी यूनिट 2000 होनी चाहिए। माननीय न्यायालय से प्रार्थीगण के विनम्र निवेदन है कि वर्तमान में खाद्य विभाग का गिव अप अभियान भी चल रहा है जिसके चलते राशन कार्डों व यूनिटों की संख्या और कम होने की संभावना है। उपभोक्ता अपनी स्वयं की इच्छा से अपना राशन कार्ड बन्द करवा रहे हैं एवं खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटा रहे हैं। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर (रसद) से विनयपूर्वक निवेदन है कि डूण्डलोद ग्राम में पहले से संचालित दुकान उचित मूल्य दुकान पर निर्धारित कार्डों की संख्या से कम कार्ड व कम यूनिट है। ऐसे में ग्राम डूण्डलोद में नियमों की अनदेखी कर एवं नवसृजित दुकान खोला जाना जिला रसद कार्यालय, झुंझुनूं का मनमाना व अन्यायपूर्ण निर्णय है। खाद्य विभाग को सभी नितियां, नियम, दिशा निर्देश आदि नवसृजित दुकान (डूण्डलोद) में नहीं खोले जाने के पक्ष में है। विवाहित लड़कियों के नाम व मृतकों के नाम (यूनिट) नहीं हटाई गई है। अतः श्रीमान्जी की सेवामें प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं से विनम्र आग्रह है कि डूण्डलोद गांव के लिए जारी नवसृजित दुकान की विज्ञप्ति को निरस्त करने का आदेश प्रदान कर प्रार्थी को राहत प्रदान करें।

प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं ने पत्रांक अभियोग/रसद/2025/902 दिनांक 10.09.2025 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि सी०बी० सिविल रिट पीटिशन संख्या 10834/2025 ताराचन्द बनाम राजस्थान सरकार की तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार सादर प्रेषित है कि प्रवर्तन



जिला कलक्टर झुंझुनूं

निरीक्षक, नवलगढ की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नगर पालिका डूण्डलोद मे वर्तमान मे 3 उचित मूल्य दुकानदार कार्यरत है। सम्पूर्ण नगर पालिका मे खाद्य सुरक्षा के 1867 राशन कार्ड व 8201 यूनिट दर्ज है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.08.2025 मे दिये गये निर्देशों की पालना मे आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्राथी ताराचन्द पुत्र श्री नौरगसिंह द्वारा डूण्डलोद ग्राम, ब्लॉक नवलगढ मे उचित मूल्य की 3 दुकानों द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है जिसमे कुल राशन कार्ड एनएफएसए के राशन कार्डों की कुल संख्या 1868 व कुल यूनिट 8204 है। फिर भी विभाग द्वारा विज्ञापित रसद क्रमांक 374/2025 दिनांक 12.06.2025 को विज्ञापित क्रमांक 30 पर डूण्डलोद 1/4 की विज्ञापित निकाल दी गई है जिसमे विभागीय नियमों की अनदेखी की गई है। माननीय न्यायालय से बड़ी विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि उक्त नवसृजित दुकान के लिए जारी किया गया विज्ञापन खाद्य विभाग द्वारा जारी नीति का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17/खा0वि0/विधि/ 2008 दिनांक 07.04.2010 मे यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रत्येक राशन की दुकान पर 500 राशन कार्ड एनएफएसए के, उनकी यूनिट 2000 होनी चाहिए। माननीय न्यायालय से प्रार्थीगण के विनम्र निवेदन है कि वर्तमान मे खाद्य विभाग का गिव अप अभियान भी चल रहा है जिसके चलते राशन कार्डों व यूनिटों की संख्या और कम होने की संभावना है। उपभोक्ता अपनी स्वयं की इच्छा से अपना राशन कार्ड बन्द करवा रहे है एवं खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटा रहे है। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर (रसद) से विनयपूर्वक निवेदन है कि डूण्डलोद ग्राम मे पहले से संचालित दुकान उचित मूल्य दुकान पर निर्धारित कार्डों की संख्या से कम कार्ड व कम यूनिट है। ऐसे मे ग्राम डूण्डलोद मे नियमों की अनदेखी कर एवं नवसृजित दुकान खोला जाना जिला रसद कार्यालय, झुंझुनूं का मनमाना व अन्यायपूर्ण निर्णय है। खाद्य विभाग को सभी नितियां, नियम, दिशा निर्देश आदि नवसृजित दुकान (डूण्डलोद) मे नही खोले जाने के पक्ष मे है। विवाहित लडकियों के नाम व मृतकों के नाम (यूनिट) नही हटाई गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम डूण्डलोद गांव के लिए जारी नवसृजित दुकान की विज्ञापित को निरस्त करने का आदेश प्रदान कर प्रार्थी को राहत प्रदान करे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। तथ्यात्मक रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि ग्राम डूण्डलोद स्थित उक्त 3 दुकानों पर खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड की संख्या क्रमशः 1867 व यूनिट 8201 है। विभागीय आदेश क्रमांक एफ 17(9))खा0वि0/विधि/2012 दिनांक 26.12.2019 व 17(1)खा0वि0/विधि/2008 दिनांक 07.04.2010 के अनुशरण मे 500 राशन कार्ड/2000 यूनिट पर अतिरिक्त दुकान के प्रावधान जारी है। उक्त 3 दुकानों पर राशन कार्ड व यूनिटों की संख्या निर्धारित संख्या से भी कम है। प्रकरण मे नियमानुसार अतिरिक्त राशन की दुकान सृजित किया जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम डूण्डलोद स्थित उचित मूल्य दुकान श्री ताराचन्द को यथावत रखे जाने व अतिरिक्त दुकान नही सृजित करने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ० अरुण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर